भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.# 454
उत्तर देने की तारीख 22.07.2021

जनजातीय उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश

454 # श्री नीरज डांगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तैयार करने और जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निधि का आबंटन सुनिश्चित करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के साथ-साथ इसके आवश्यकता अनुरूप उपयोग किए जाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) और (ख) तत्कालीन योजना आयोग/नीति आयोग ने जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों के निर्धारण और आवंटन के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए। जनजातीय विकास के लिए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, नीति आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक वर्ष उनकी कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत की सीमा में, टीएसपी फंड निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित टीएसपी के तहत निधियों के निर्धारण के लिए दायित्व का विवरण **अनुलग्नक-I** पर है। तत्कालीन योजना आयोग ने भी राज्य टीएसपी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल राज्य योजना के संबंध में, राज्य में जनजाति उप योजना (टीएसपी) और निधियां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुपात में निर्धारित करनी चाहिए।

(ग) निधियों का, विपथन रोकने के लिए टीएसपी के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय के लिए एक पृथक बजट 'लघु शीर्ष 796' बनाया गया है। इसके अलावा, नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) समय-समय पर जनजातीय कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन और व्यय की समीक्षा करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं और टीएसपी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) एक समर्पित एसटीसी-एमआईएस पोर्टल (https://stcmis.gov.in) के माध्यम से नियमित रूप से केंद्रीय टीएसपी निधियों के आवंटन, व्यय आदि की निगरानी भी करता है। साथ ही, राज्य जनजातीय कल्याण विभागों को दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य टीएसपी निधियों के आवंटन और उपयोग के लिए लगातार राजी किया जाता है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीएसपी के तहत जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए व्यय और बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों को जारी निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

श्री नीरज डांगी द्वारा "जनजातीय उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश" के संबंध में 22.07.2021 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालयों/विभागवार अनिवार्य आवंटन

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित प्रतिशत
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8.60
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60
4	वाणिज्य कर विभाग	4.30
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30
6	दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग	8.60
7	मत्स्य पालन विभाग	8.60
8	उच्च शिक्षा विभाग	8.60
9	भूमि संसाधन विभाग	10.00
10	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70
11	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30
12	दूरसंचार विभाग	4.30
13	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60
14	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00
15	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60
16	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
17	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4.30
18	कोयला मंत्रालय	8.60
19	संस्कृति मंत्रालय	4.30
20	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60
21	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70
22	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60
23	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30
24	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	4.30
25	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60
26	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय	8.60
27	खान मंत्रालय	4.30
28	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60
29	पंचायती राज मंत्रालय	8.60
30	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30
31	विद्युत मंत्रालय	8.60
32	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30
33	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60
34	वस्त्र मंत्रालय	8.60
35	पर्यटन मंत्रालय	4.30
36	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00
37	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60
38	युवा मामले और खेल मंत्रालय	8.60
39	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	4.30
40	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30
41	उर्वरक विभाग	4.30

अनुलग्नक II

श्री नीरज डांगी द्वारा "जनजातीय उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश" के संबंध में 22.07.2021 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2017-18 से 2021-22 तक बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय टीएसपी फंड जारी किया गया#

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (10.07.2021 तक
1	अण्डमान और निकोबार	2.21	12.16	2.846	16.70	1.91
2	आंध्र प्रदेश	744.30	943.81	991.198	785.39	298.03
3	अरुणाचल प्रदेश	727.96	691.12	930.804	951.06	308.48
4	असम	1301.29	1143.07	1811.215	1224.78	460.22
5	बिहार	376.86	496.44	737.609	728.57	236.74
6	चंडीगढ़	9.54	7.30	13.765	9.87	0.93
7	छत्तीसगढ	2007.36	1921.63	2094.337	1630.24	1014.65
8	दादरा और नगर हवेली	33.10	33.86	52.789	80.65	1.63
9	दमन और दीव	10.59	9.40	8.311	0.18	
10	दिल्ली	1265.47	2010.47	2046.557	3919.13	1434.71
11	गोवा	30.12	27.97	37.574	27.39	8.05
12	गुजरात	1164.35	1465.35	1840.579	1951.39	1073.15
13	हरियाणा	61.11	62.07	28.230	39.84	15.53
14	हिमाचल प्रदेश	227.71	211.95	381.079	219.08	72.05
15	जम्मू और कश्मीर	709.61	678.82	617.049	319.07	114.38
16	झारखंड	1614.68	1631.21	2038.998	1351.36	509.73
17	कर्नाटक	698.90	677.48	1034.188	733.93	474.86
18	केरल	180.79	223.20	154.296	210.59	105.91
19	लक्षद्वीप	5.02	3.21	8.377	7.79	0.29
20	लद्दाख	0.00	0.00	0.137	19.25	4.10
21	मध्य प्रदेश	4213.80	3425.89	4305.442	4324.06	2220.65
22	महाराष्ट्र	1884.12	2469.98	4146.777	4411.15	694.69
23	मणिपुर	434.99	419.20	544.327	566.40	142.05
24	मेघालय	508.92	598.26	747.046	915.85	261.28
25	मिजोरम	555.00	604.48	781.482	673.71	262.10
26	नगालैंड	584.04	746.74	886.859	806.67	171.84
27	ओडिशा	2184.46	2416.94	3448.245	3512.31	1359.84
28	पुदुचेरी	4.20	3.60	4.374	2.78	1.70
29	पंजाब	44.52	59.18	260.866	220.39	62.84
30	राजस्थान	2383.11	2116.06	2714.994	2384.03	927.94
31	सिक्किम	159.44	134.32	170.178	103.90	35.82
32	तमिलनाडु	286.01	287.71	528.920	608.55	153.76
33	तेलंगाना	852.18	796.88	1282.030	816.12	844.80
34	त्रिपुरा	365.47	423.38	583.378	441.58	193.31
35	उत्तर प्रदेश	804.60	669.25	984.956	1114.95	364.10
36	उत्तराखंड	151.44	171.72	162.692	240.38	50.38
37	पश्चिम बंगाल	1420.01	1501.01	1785.735	1291.38	269.86
38	केन्द्रीय एजेंसी*	1773.32	3441.78	3764.590	3152.54	740.90

नोट:-स्रोत-एसटीसीएमआईएस पोर्टल (10/07/2021 तक)

- राज्य सरकार और राज्य में अन्य एजेंसियों को कुल निर्मुक्त निधि।

* केन्दीय एजेंसी – केन्दीय मंत्रालय/विभाग में केन्द्रीय एजेंसियों को निर्मुक्त की गई निधि|

2017-18 से 2021-22 तक राज्य टीएसपी के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी व्यय का विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21#	2021-22*
1	आंध्र प्रदेश	3356.10	3537.94	3281.46	3847.63	एनआर
2	अण्डमान और निकोबार	390.85	236.08	127.65	99.02	एनआर
3	असम	1328.30	1857.51	1965.05	एनआर	एनआर
4	बिहार	760.01	1067.59	1126.97	18.57	एनआर
5	छत्तीसगढ	15457.13	17279.95	16422.09	4627.71	एनआर
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	21.45	13.77	12.41	0.71	एनआर
7	गोवा	210.84	213.64	227.86	22.78	एनआर
8	गुजरात	11058.00	11744.00	12809.00	11120.53	675.75
9	हिमाचल प्रदेश	440.50	466.18	639.00	एनआर	एनआर
10	झारखंड	14627.66	16156.61	16312.27	1119.87	एनआर
11	कर्नाटक	7700.21	7913.50	7227.59	4712.78	एनआर
12	केरल	612.95	616.48	504.36	178.22	एनआर
13	मध्य प्रदेश	23338.77	24237.38	26980.30	14993.91	एनआर
14	महाराष्ट्र	6162.94	7274.14	6833.55	2144.91	एनआर
15	ओडिशा	4760.08	5321.75	6022.73	2156.55	एनआर
16	राजस्थान	11345.57	13576.47	13819.01	14230.41	एनआर
17	सिक्किम	7.81	2.53	1.51	0.00	एनआर
18	तमिलनाडु	630.15	632.94	1015.84	578.51	एनआर
19	तेलंगाना	5868.00	6510.00	6357.84	3583.12	एनआर
20	त्रिपुरा	1270.18	1538.99	1794.55	777.22	एनआर
21	उत्तर प्रदेश	354.01	686.91	823.37	1163.78	एनआर
22	उत्तराखंड	286.61	262.21	302.93	36.34	एनआर
23	पश्चिम बंगाल	4443.54	5129.63	5303.00	4338.17	एनआर

स्रोतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़े।

#मिलान किया जा रहा है,*अनंतिम आंकड़े

*****